



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-833/982

नया रायपुर, दिनांक 26/05/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
गरियाबंद वन मंडल, गरियाबंद
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II South Gariyaband Division " Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 19.099 ha. regarding

संदर्भ:- पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/43120/2019
मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर का पत्र क्रमांक/ तक. शा./ विविध/ 2751 दिनांक 04.05.2020
× × × × ×

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई है:-

1. Form A Part-II के कालम नं. - 15 भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है परन्तु ऑन लाईन के कॉलम में Yes लिखा गया है जिसे No किया जाये।
2. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है जिसे अपलोड करें।
3. Form A Part-II के कालम नं. 16 में पार्ट-3 अपलोड नहीं किया गया है।
4. प्रपत्र-3 में वन मंडलाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
5. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतो के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12.02.2010 का उल्लेख आवरण पत्र में है, जिसकी छाया प्रति भेजी जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जानकारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 833/ 982

रायपुर, दिनांक 26/05/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़